पत्र संख्या-स्था-5(ख)-सामान्य स्थानान्तरण -2019-20 // 661 // वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक ::16 मई, 2019

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय :- वर्ष 2019-20 के लिये अराजपत्रित श्रेणी (सभी संवर्ग) के कार्मिकों के वार्षिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

शासन के पत्र संख्या- 3/2018/1/3/96-का-4-2018 दिनांक 29-03-2018 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2018-19 से 2021-22 के लिए सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के क्रम में वाणिज्य कर विभाग के समूह-ग व घ के कार्मिकों का स्थानान्तरण के संबंध में मुख्यालय के पत्र संख्या-131 दिनांक 06-04-2018 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

उक्त पत्र दिनांक 06-04-2018 के प्रस्तर-1 में उल्लेख किया गया है कि वाणिज्य कर विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता / जनहित / राजस्व हित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समयावधि स्थानान्तरण सत्र 2018-19 से 2021-22 में प्रत्येक वर्ष 31 मई तक एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश और जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर तथा प्रत्येक वर्ष 31 मई के उपरान्त एक स्तर उच्च अधिकारी या कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन से स्थानान्तरण किये जा सकेंगें।

शासन की स्थानान्तरण नीति में दिये गये प्राविधानानुसार दिनांक 31-05-2019 तक ही सक्षम स्तर से स्थानान्तरण किये जा सकते हैं किन्तु स्थानान्तरण सत्र 2019-20 के अधीन वाणिज्य कर विभाग की कार्यात्मक आवश्यकता / जनहित / राजस्व हित तथा प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानान्तरण हेतु विकल्प प्रार्थना पत्र / प्रस्ताव अभी तक अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा मुख्यालय को अग्रसारित नहीं किये गये हैं।

अत: आपसे अपेक्षा की जाती हैं कि शासन के पत्र दिनांक 29-03-2018 एवं मुख्यालय के पत्र दिनांक 06-04-2018 के क्रम में अपेक्षित स्थानान्तरण विषयक प्रार्थना पत्र / प्रस्ताव प्रत्येक दशा में दिनांक 25-05-2019 तक मुख्यालय को अग्रसारित करने का कष्ट करें। यदि शासन स्तर से इसके सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं, तो उसे तद्नुसार संशोधित मानते हुए अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न करायी जायेगी।

16/5/19

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृष्ठांकन पत्र सॅख्या :: एवं दिनॉक :: उक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रारूप-क एवं प्रारूप-ख सहित प्रेषित:-

1- अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर,लखनऊ।
2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि यह परिपत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
3- समस्त अनुभाग अधिकारी वाणिज्य कर, मुख्यालय लखनऊ।
4- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) / असिस्टेंट कमिश्नर(ए) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
6- पटल प्रभारी -स्था-6 (सामान्य)/ स्था-5(ग) / स्था-5(क) /स्था-4(क) /स्था-4(ख) /स्था-4(ग) /स्था-4(घ) / स्था-3 क / स्था-3ख वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।